



## मसौदा वमिन सुरक्षा नयिम, 2022

नागरकि उड्डयन मंत्रालय द्वारा मसौदा वमिन सुरक्षा नयिम, 2022 को अधिसूचि कया गया है।

### पृष्ठभूमि:

- मसौदा वमिन सुरक्षा नयिम, 2022 वमिन सुरक्षा नयिम, 2011 की जगह लेगा जो सितंबर 2020 में संसद द्वारा वमिन संशोधन अधिनयिम, 2020 पारति कयि जाने के बाद आवश्यक हो गया था, जिसमें नागरकि उड्डयन और वमिन दुर्घटना जाँच ब्यूरो के महानदिशक के साथ BCAS को वैधानकि शक्तियाँ दी गई थीं।
- ये उन्हें जुरमाना लगाने की अनुमति देते हैं जो पहले केवल न्यायालयों द्वारा लगाए जा सकते थे। अधिनयिम ने अधिकतम जुरमाना 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया।
- संयुक्त राष्ट्र की वमिनन नगिरानी संस्था अंतरराष्ट्रीय नागर वमिनन संगठन (ICAO) ने तीन नयिमकों की वैधानकि शक्तियों के बनिा काम करने पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद संसद में संशोधन की आवश्यकता पड़ी।

### नयिम:

- **जुरमाना और नलिंबन:**
  - ये नयिम **नागरकि उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो** (Bureau of Civil Aviation Security- BCAS) को हवाई अड्डों और एयरलाइनों पर 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए (कंपनी के वसितार के आधार पर) का जुरमाना लगाने में सक्षम बनाएंगे **दिवे सुरक्षा कार्यक्रम तैयार करने और लागू करने में वफिल रहते हैं या सुरक्षा संबंधी मंजूरी मांगे बनिा संचालन शुरू करते हैं।**
    - BCAS नागरकि उड्डयन मंत्रालय (भारत) का एक संबद्ध कार्यालय है। यह भारत में नागरकि उड्डयन सुरक्षा हेतु नयिमक प्राधिकरण है।
    - **संबद्ध वयक्तियों पर अपराध की प्रकृति के आधार पर 1 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए का दंडात्मक प्रावधान है।**
    - BCAS किसी भी इकाई की हवाईअड्डा सुरक्षा मंजूरी और सुरक्षा कार्यक्रम को नलिंबति या रद्द करने में भी सक्षम होगा।
- **साइबर सुरक्षा:**
  - **साइबर सुरक्षा** खतरों से निपटने के लिये नयिमों में **प्रत्येक इकाई को अपनी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों को अनधिकृत उपयोग से बचाने तथा संवेदनशील वमिनन सुरक्षा जानकारी के प्रकटीकरण पर रोक लगाने की भी आवश्यकता है।**
- **नजि सुरक्षा एजेंट:**
  - मसौदा नयिम अब हवाई अड्डों को "गैर-प्रमुख क्षेत्रों" में **केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force- CISF) के कर्मियों के बजाय नजि सुरक्षा एजेंटों को नयिकृत करने और राष्ट्रीय नागरकि उड्डयन नीति, 2016 की सफिरशि के अनुसार सुरक्षा कर्तव्यों को सौंपने के लिये अधिकृत करते हैं।**

## अंतरराष्ट्रीय नागरकि उड्डयन संगठन (International Civil Aviation Organisation- ICAO):

- यह **संयुक्त राष्ट्र** (United Nations-UN) की एक वशिष्ट एजेंसी है, जिसे **वर्ष 1944 में स्थापति कया गया था**, जिसने शांतपूरण वैश्वकि हवाई नेविगशन के लिये मानकों और प्रक्रियाओं की नीव रखी।
  - अंतरराष्ट्रीय नागरकि उड्डयन संबंधी अभिसमय/कन्वेंशन पर **7 दसिंबर, 1944 को शकिगो में हस्ताक्षर कयि गए।** इसलिये इसे शकिगो कन्वेंशन भी कहते हैं।
  - शकिगो कन्वेंशन ने वायु मार्ग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय परविहन की अनुमति देने वाले प्रमुख सदिधांतों की स्थापना की और ICAO के निर्माण का भी नेतृत्व कया।
- इसका एक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय हवाई परविहन की योजना एवं वकिस को बढ़ावा देना है ताकि दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय नागरकि वमिनन की सुरक्षति तथा व्यवस्थति वृद्धि सुनिश्चति हो सके।
- **भारत इसके 193 सदस्यों में से है।**
- इसका मुख्यालय **मॉन्ट्रियल, कनाडा में है।**

स्रोत: द हद्रि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/draft-aircraft-security-rules,-2022>

